बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग।

पत्रांक–01/लेखा–1336/2026– 1525 /पटना, दिनांक– 07 अगस्त, 2026

दिनांक–07.08.2026 को पूर्वाह्न 12:00 बजे विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु जी०पी०एस० एवं आवश्यक संसाधनयुक्त वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को सूचिबद्ध करने के निमित्त आमंत्रित निविदा के प्री–बिड बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधियों की पृच्छा के प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। बोली जमा करने की आगे की प्रक्रिया के लिए इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

क्रमांक	निविदा की शर्तें	सुझाव	संशोधित शर्तें	अभियुक्ति
01	निविदादाता एजेंसी के पास कम–से–कम 95 वाहन उपलब्ध कराने की क्षमता होना अनिवार्य है। वाहन का स्वामित्व स्वयं का अथवा भाड़े पर अगले एक वर्ष के लिए वाहन स्वामी से अनुबंधित होना अनिवार्य होगा। एजेंसी को तकनीकी निविदा के साथ वाहन स्वामी/वाहन स्वामी से अनुबंध एवं इसके उपलब्ध होने का साक्ष्य संलग्न करना होगा। वाहन के स्वामित्व अथवा वाहन स्वामी से अनुबंध की जाँच विभाग द्वारा कभी भी की जा सकती है।	प्रचार वाहन हेतु इच्छुक एजेंसी के empanelment हेतु शर्तें की कंडिका–ख क्रमांक–01 में निर्धारित 95 वाहनों की क्षमता को अनिवार्य करते हुए तकनीकी निविदा के साथ वाहनों का निबंधन संख्या देने के बिन्दु पर न्यूनतम वाहनों की संख्या को अधिकतम 10 करने का अनुरोध किया गया।	95 वाहन उपलब्ध कराये जाने की क्षमता होना अनिवार्य है। तथापि एजेंसी को तकनीकी निविदा के साथ कम–से–कम 10 वाहनों का वाहन स्वामी/वाहन स्वामी से अनुबंध एवं इसके उपलब्ध होने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। वाहन के स्वामित्व अथवा वाहन स्वामी से अनुबंध की जाँच विभाग द्वारा कभी भी की जा सकती है।	
02	—	प्रचार वाहनों के परिचालन हेतु कम से कम अवधि के रूप में एक माह (30 दिन) निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।	प्रत्येक लॉट में परिचालन हेतु न्युनतम अवधि 07 दिन होगी। विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुसार सूचिबद्ध एजेंसियों को वाहन के परिचालन के विषय में संसूचित किया जाएगा।	

07/08/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक– 1525 /पटना, दिनांक– 07 अगस्त, 2026.

प्रतिलिपिः– सभी उपस्थित फर्म को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर आमंत्रित निविदा के परिपेक्ष्य में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/08/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।